

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर, चौहटन मुकाम चौहटन
व इजलास कृष्णमलता चौहान, आर.ए.एस.
अनवान :-

वादीगण -

1.शिवदान पुत्र ताजाराम 2.हड्डुमानराम पुत्र ताजाराम फौत के का.मु. :-
2/1.भैराराम 2/2जोगाराम पि.हड्डुमानराम
2/3.धनीदेवी पत्नि हनुमानराम, जाति जाट,
निवासी ईशरोल, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण -

1.मगाराम पुत्र ताजाराम, जाति जाट
निवासी ईशरोल, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
2.पंजाब नेशनल बैंक, शाखा चौहटन, 3.तहसीलदार चौहटन

वाद अन्तर्गत धारा 53,89,188 RT Act.

मुकदमा नं. 49/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. न्यायालय बहाजरी श्री बलवन्तसिंह चौधरी एड. मिनजानिब मुदाई व श्री प्रवीण चौधरी एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र ईशरोल के मौजा मौजा पूनियों का तला में खसरा सं. 18, 499/34, 500/34, 501/34, 509/35, 40 रकबा क्रमश 01.9991, 02.3229, 06.2888, 04.7591, 01.8049, 09.5587 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त विवादित खसरों की भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं। लगातार शेष पृष्ठ पर
..... बीज मबलिंग बाबत पर्चा
इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज ही तारीख से
तारीख व सूलप्रार्थी तक को अदा करे।

वसगत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 11.03.2025 को जारी की गई।

दस्तखत.....

ओहदा


नूदई	रूपया	प	मुदायलाह	रूपया	प
स्टाम्प अर्दीया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पटमनामा वकील खर्च गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक		
				मोजान	

नोट - इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे करना।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्लियत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हेक्टर)	किरम	लगान	वरग
1	सकुन्त शिवदान पुत्र ताजाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार रहन PNB शाखा चौहटन	पूनियों का तला	18	00.8741	वा.दो.		हरा
			501 / 34	02.2662	वा.दो.		
			499 / 34	00.9065	वा.दो.		
			509 / 35	00.4856	वा.दो.		
			40	04.3787	वा.दो.		
योग			5	08.9111	वा.दो.		हरा
2	मगाराम पुत्र ताजाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार	पूनियों का तला	18	00.6232	वा.दो.		वैगनी
			499 / 34	00.6717	वा.दो.		
			500 / 34	00.8094	वा.दो.		
			501 / 34	00.9308	वा.दो.		
			509 / 35	00.6960	वा.दो.		
योग			6	08.9110	वा.दो.		वैगनी
3	हडुमान पुत्र ताजाराम फौत के का.मु :- भैराराम, जोगाराम पि. हडुमान, धनीदेवी पत्नि हडुमान, कौम जाट, सा.देह खातेदार	पूनियों का तला	18	00.5018	वा.दो.		लाल
			499 / 34	00.7646	वा.दो.		
			500 / 34	05.4794	वा.दो.		
			501 / 34	01.5620	वा.दो.		
			509 / 35	00.6232	वा.दो.		
योग			5	08.9110	वा.दो.		लाल

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्वा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।



(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 49/2022

पीठासीन अधिकारी – कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

अनवान

वादीगण –

1.शिवदान पुत्र ताजाराम 2.हड्डुमानराम पुत्र ताजाराम फौत के का.मु. :-
2/1.भैराराम 2/2जोगाराम पि.हड्डुमानराम
2/3.धनीदेवी पत्नि हनुमानराम, जाति जाट,
निवासी ईशरोल, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण –

1.मगाराम पुत्र ताजाराम, जाति जाट
निवासी ईशरोल, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
2.पंजाब नेशनल बैंक, शाखा चौहटन, 3.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण –

वादीगण वकील – श्री बलवन्तसिंह चौधरी
प्रतिवादीगण वकील – श्री प्रवीण चौधरी



निर्णय

वाद अन्तर्गत धारा 53,89,188 RT Act.

दिनांक :- 11.03.2025

उपरोक्त वाद में न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौहटन से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जो शामिल पत्रावली किया गया । पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित हुए। तहसीलदार चौहटन से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया । उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव उन्हें स्वीकार है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार निर्णय करते हुए डिक्री जारी की जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि तहसीलदार चौहटन से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः न्यायाहित में तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौजा पूनियों का तला में खसरा सं. 18, 499/34, 500/34, 501/34, 509/35, 40 रकबा क्रमश 01.9991, 02.3229, 06.2888, 04.7591, 01.8049, 09.5587 हैक्टेयर पटवार क्षेत्र ईशरोल, तहसील चौहटन में आये हुए है। उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते है।

क्र. स.	खातेदार का नाम मय वल्लियत सकुनत	ग्राम	खसरा न.	रकबा (हेक्टर)	किस्म	लगान	बरा
1	शिवदान पुत्र ताजाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार रहन PNB शाखा चौहटन	पूनियों का तला	18 501/34 499/34 509/35 40	00.8741 02.2662 00.9065 00.4856 04.3787	बा.दो. बा.दो. बा.दो. बा.दो. बा.दो.		हर
योग			5	08.9111	बा.दो.		हर
2	मगाराम पुत्र ताजाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार	पूनियों का तला	18 499/34 500/34 501/34 509/35 40	00.6232 00.6717 00.8094 00.9308 00.6960 05.1799	बा.दो. बा.दो. बा.दो. बा.दो. बा.दो. बा.दो.		बगनी
योग			6	08.9110	बा.दो.		बगनी
3	हडुमान पुत्र ताजाराम फौत के का.मु :- भैराराम, जोगाराम पि. हडुमान, धनीदेवी पत्नि हडुमान, कौम जाट, सा.देह खातेदार	पूनियों का तला	18 499/34 500/34 501/34 509/35	00.5018 00.7646 05.4794 01.5620 00.6232	बा.दो. बा.दो. बा.दो. बा.दो. बा.दो.		लाल
योग			5	08.9110	बा.दो.		लाल

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिख जावे। मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जर्न हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो निर्णय आज दिनांक 11.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
सहायक कलक्टर
(SCC) चौहटन